

नायब तहसीलदार  
न्यायालय वहसीलदार राजगढ़ (अलवर)

पत्रावली संख्या 76 / 2022 ..... तारीख दायर 30.7.22 ..... दिनांक निर्णय 29-11-22

उजयान

रिपोर्ट पटवारी ~~इतना दुबका~~ बनाम ~~रामचन्द्र, अशोक, गुहनलाल~~  
~~पुत्रा गोविन्दा जात्रि वैखा~~  
~~निवासी चौगाड़ा~~

आज पत्रावली मु. ~~राजगढ़~~ पेश हुई। गैरसायल उप/अनु. जवाब पेश किया/नहीं करना चाहता है। सबूत गैरसायल बन्द की जानी है। अतिकमी का स. 206 / 2019 का नया कब्जा होना साबित होता है। अतिकमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि-

गैरसायल ~~रामचन्द्र, अशोक, गुहनलाल~~ पुत्रान ~~गोविन्दा~~  
जाति ~~कुश्वा~~ निवासी ~~चौगाड़ा~~ को  
आराजी खसरा नं. 361 ..... रकबा 0.08 हे किस्म चारगाह वाके ग्राम चौगाड़ा  
(2015)  
से बेदखल किया जाता है तथा शरह लगान 1000 की 50 गुणा में मु.  
50-00 उगास रूप कायमी कराई जावे TRA व पटवारी की पालनाथं लिखा लावें।

~~कसल निलामी हेतु~~ गिरदावर/कानूनगो को लिखा जावें।

नायब तहसीलदार  
तहसीलदार  
राजगढ़ (अलवर)

रा. ले. स. 4 वर्ष, 2022-23  
के पृष्ठ संख्या 21 पर जा. पं. 50/-  
राशि कायम किये गये।

10/6  
त. प्रो. लेखाकार